भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1107
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त रैंप

1107 . श्री संजय दिना पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में विश्व बैंक सहायता प्राप्त रैंप (एमएसएमई कार्यनिष्पादन में वृद्धि एवं तेजी लाना) कार्यक्रम के कार्यान्वयन और परिणामों की समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में रैंप के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि कितनी है तथा मुम्बई स्थित एमएसएमई के लिए कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी अपनाने, वित्त तक पहुँच, डिजिटल विपणन और कौशल विकास से संबंधित हस्तक्षेपों से मुंबई में प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार में सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मुम्बई में राष्ट्रीय उद्धमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षित महिला उद्यमियों की संख्या कितनी है तथा प्रशिक्षण के पश्चात् प्राप्त परिणाम क्या हैं;

(ङ) क्या सीमित पहुँच, एजेंसियों के ओवरलैप और कमजोर निगरानी जैसी कार्यान्वयन चुनौतियों की पहचान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मुंबई तथा संपूर्ण महाराष्ट्र में एमएसएमई के लिए रैंप कार्यक्रम के प्रभावी समन्वय, पारदर्शिता और ठोस प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा कार्यान्वित विश्व बैंक सहायता-प्राप्त केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम "एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" (रैंप) का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर, बाजार पहुंच बढ़ाकर, हरित पहल को बढ़ावा देकर, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को गारंटी बढ़ाकर मौजूदा एमएसएमई स्कीमों के प्रभाव में वृद्धि के साथ एमएसएमई की कार्यान्वयन क्षमता और कवरेज को बढ़ाना है। **महाराष्ट्र सहित** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में रैंप के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित आधार पर एसआईपी-कार्यान्वयन योजना (आईपी) मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करके और राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की द्वि-वार्षिक बैठकों के माध्यम से उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है। किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट एमएसएमई के लिए कोई अलग निर्धारण नहीं है क्योंकि लक्ष्य महाराष्ट्र राज्य के सभी जिलों के एमएसएमई को शामिल करने का है। महाराष्ट्र राज्य में रैंप के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निधि का ब्यौरा (करोड़ रु. में)		
	कुल संस्वीकृत	कुल जारी	कुल उपयोग की गई
1.	194.50	48.7578	21.43

(घ) से (च): रैंप के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत, महाराष्ट्र में "महिला और एससी/एसटी उद्यमी" घटक के अंतर्गत कुल 33,925 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जबकि जनवरी, 2026 तक इस श्रेणी के अंतर्गत मुंबई से 729 लाभार्थियों की सूचना प्राप्त हुई। महाराष्ट्र की सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना में डिजिटल, प्रिंट, सोशल और आउटडोर मीडिया के अंतर्गत कवरेज शामिल है और इसलिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम की पहुंच और निगरानी के लिए आवश्यक हर पहलू को शामिल किया गया है। रैंप कार्यक्रम में एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन (एमएवंई) अंतर्निहित ढांचा है जिसमें प्रगति, एसआईपी कार्यान्वयन और अन्य डिलिवरेबल्स के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन निरंतर किया जाता है। सरकार को अब तक राज्य-स्तरीय समन्वय या निधि वितरण में किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा है।
